बिहार सरकार
खेल विभाग

अधिसूचना

सं.सं.–2/ब. 1–87/2008 (खंड) 1657/ दिनांक–24.10/2024

1. **योजना का नाम** :– खेल उपकरण/सामग्रियों, मल्टीजिम एवं ओपन जिम का अधिष्ठापन योजना।

2. **योजना का उद्देश्य** :–

बिहार के सभी जिलों में खेलों को विकसित किये जाने के उद्देश्य से मल्टीजिम, ओपन जिम एवं चिन्हित खेलों के तहत् एकरूपता के आधार पर आवश्यक खेल उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

उक्त येाजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित उपकरण को प्रतिस्पर्द्धात्मक खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग मिले तथा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण हो सके।

3. **प्रस्ताव** :– जिला पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा नियमानुकूल स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4. **खेल उपकरण/सामग्रियों** :–

खेल उपकरणों/सामग्रियों के क्रय में यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस खेल विधा के उपकरणों का क्रय किया जाना है उस खेल विधा के राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिस मानक स्तर का इस्तेमाल होता है, उस मानक स्तर का उपकरणों का क्रय करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी विशेष ब्राण्ड /मॉडल का खेल उपकरण लगातार कई वर्षो से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होता रहा है तो खेल उपकरणों के स्पेसिफिकेशन से संबंधित सूची को इस्तेमाल करते हुए खेल उपकरण/सामग्रियों का क्रय कंडिका–3 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जा सकता है।

5. **मल्टीजिम** :–

मल्टीजिम उपकरणों के क्रय में उच्च गुणवत्ता वाले मल्टीजिम उपकरण जिसमें आठ से दस स्टेशन का सेट हो एवं ज्यादा से ज्यादा मैनुअल ऑपरेटिंग हो का क्रय किया जा सकेगा। साथ ही शरीर के महत्वपूर्ण भागों का व्यायाम किये जाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक या दो स्टेशन के मल्टीजिम उपकरणों का भी अधिष्ठापन कराया जाय, जिससे प्रभावशाली तरीके से अभ्यास करते हुए जिम उपकरणों का ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सके। मल्टीजिम हेतु निम्नलिखित उपकरणों /स्टेशनों के एकल या मल्टीपल स्टेशन युक्त उपकरण का क्रय किया जा सकता है:–

क्र0	उपकरणों का नाम
1	5 station jungle gym with cable crossover
2	Leg Press (Individual Station)
3	Bench Press Bench (Individual Set Station with Inclined& Declined Adjustment)
4	Weight lifting Olympic set (One Set)
5	Dumbbell Set 6 Sets (Rubber Coated)
6	Sit up and Hyper Extension Board
7	Wall Bar and Leg raises set (One Set)
8	Sitting Rowing (One Set)
9	Squat Stand, Adjustable (One Set)
10	Chin up Bar Stand (One Set)
11	Leg Curling and Leg Extension Station

नोटः– क्रमांक संख्या–01 से 11 तक मल्टीजिम उपकरणों का क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।

6. **ओपन जिम** :–ओपन जिम उपकरणों का चयन इस प्रकार किया जायेगा, जो केवल अथवा तार आदि से जुड़ा न हो बल्कि मैनुअली इस्तेमाल हो सके। उपकरणों का निर्माण मजबुत उच्च गुणवत्तायुक्त अच्छे गेज के इस्पात से बना हो। निम्नलिखित ओपन जिम के उपकरणों का क्रय किया जा सकता है –

क्र.	उपकरणों का नाम
1	Seated Chest press Double
2	Chest Cum Scatted Puller
3	Parallel Bar and Leg Raiser Stand
4	Double Leg Press
5	Triple seated and Standing Twister Set
6	Horizontal chin up Bar
7	Art Rotation Ring Stand
8	Multipurpose Monkey Climber
9	Cycling Stand
10	Double Seated Puller
11	Knee and Hip Raiser
12	Front /Back press Stand with Weight
13	Cross Walker / Trainer
14	Sit up Board Double

नोट:– क्रमांक संख्या–01 से 14 तक ओपन जिम उपकरणों में से न्यूनतम 12 उपकरणों का क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।

7. **उपकरण के क्रय की प्रक्रिया** :–

i) जिला स्तर पर क्रय किए जाने वाले मल्टीजिम, ओपेन जिम एवं खेल उपकरणों के क्रय हेतु जिला स्तर पर गठित क्रय समिति में संबंधित खेल से कम–से–कम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक अनिवार्य रूप से समिति के सदस्य हो, जिससे गुणवत्तायुक्त उपकरणों का क्रम आवश्यकता के अनुरूप हो सके।

ii) इस योजना के अन्तर्गत केवल अधिसूचना में वर्णित उपकरणों के साथ प्रति मल्टीजिम अधिष्ठापन हेतु ₹14,00,000/– (चौदह लाख रूपये) मात्र एवं प्रति ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु ₹7,00,000/– (सात लाख रूपये) मात्र की आवंटन उपलब्ध क़राया जा सकेगा।

iii) खेल उपकरण/सामग्रियों का क्रय बिहार वित्तीय नियमावली का अनुपालन कर किया जाऐगा।, व्यय होने वाली राशि को संबंधित जिला द्वारा विभाग से आवंटन की मांग किया जा सकेगा।

iv) मल्टी जिम/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण/सामग्रियों का क्रय के उपरांत संबंधित जिला खेल पदाधिकारी अपने भंडार पंजी में अंकित करेंगे। उसके उपरांत ही उपकरणों का अधिष्ठापन चिहिन्त स्थल पर किया जायेगा तथा सामग्रियों को संबंधित को दिया जा सकेगा।

8. **स्थल का चयन** :– खेल उपकरण/सामग्रियों, मल्टीजिम एवं ओपन जिम का अधिष्ठापन राज्य सरकार के इंडोर/आउटडोर स्टेडियम/खेल मैदान/महाविद्यालय/विद्यालय/पार्क/सार्वजनिक स्थलों पर किया जाना अनिवार्य होगा, जहाँ युवाओं/खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रतियोगिता, प्रशिक्षण शिविर एवं शारीरिक फिटनेस के लिए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके, जिसका प्रमाण पत्र संबंधित जिला पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार के स्तर से होना चाहिए।

9. **मल्टी जिम/ओपेन जिम का रख–रखाव** :– जिम उपकरणों के क्रय करने के उपरांत संबंधित कम्पनी/फार्म के साथ 03 (तीन) वर्ष का रख–रखाव हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) करना अनिवार्य होगा।

10. **प्रायोजक का नाम** :– जिस स्थान पर खेल उपकरण/सामग्रियों, मल्टीजिम एवं ओपन जिम का अधिष्ठापन किया जायेगा उस स्थान पर "खेल विभाग, बिहार" द्वारा प्रायोजित संबंधित स्थाई साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

11. **संचालन की व्यवस्था** :– ओपन जिम तथा मल्टी जिम जिस स्थल/भवन में अधिष्ठापित किया जायेगा उसका नाम, पता, संचालन किसके द्वारा किया जायेगा (जिसमें जिम उपकरणों का रख–रखाव का जिक्र रहे) का स्पष्ट प्रस्ताव हो।

12. मल्टीजिम एवं ओपन जिम के अधिष्ठापन के उपरांत, संबंधित जिला खेल पदाधिकारी जहाँ अधिष्ठापन किया गया है, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ सहित विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरणी भी ससमय विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. पूर्व के बैठक की कार्यवाही की ज्ञापांक–874, दिनांक–23.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/
निदेशक (खेल),
खेल विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....1657...../ पटना, दिनांक..21.10.../2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणलय, गुलजारबाग, पटना–800007 को राजपत्र के अगल अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

21/10/2024
निदेशक (खेल)